

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादी क्रमांक: 02/16-2023 C-III (1)

दिनांक: पंचकूला 19-01-2024

विषय:-

Deemed promotion का लाभ प्रदान करने उपरान्त पेंशन में संशोधन करने बारे मामला।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 02/16-2023 C-III (1) दिनांक 12.06.2023 एवं 29.12.2023 (कॉपी सलग्न) के संदर्भ में।

इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.04.2023, 05.09.23 एवं 18.12.2023 के अनुसार deemed promotion का लाभ प्रदान किए जाने उपरान्त वेतन निर्धारित आदेश जारी किए गए हैं। उक्तानुसार Last Basic Pay के अनुसार Revision of pension का केस बनाकर /तैयार करके निदेशालय में वांछित दस्तावेज को भेजने हेतु आपको लिखा गया था लेकिन अभी तक निदेशालय में वांछित दस्तावेज (कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दिए गए तथा आप द्वारा प्रधान लेखाकार कार्यालय चण्डीगढ़ में भेजे गए पेंशन पेपर की फोटोप्रति) प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि आपके कालेज से संबंधित जिस भी सहायक /एसोसिएट प्रोफेसरों को प्राचार्य के पद पर deemed promotion का लाभ प्रदान किया गया है उन सभी का Revision Pension केस बनाकर /तैयार करके पेंशन दस्तावेजों (कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दिए गए तथा आप द्वारा प्रधान लेखाकार कार्यालय चण्डीगढ़ में भेजे गए पेंशन पेपर की फोटोप्रति) के साथ इस कार्यालय का 5 दिन के अन्दर अन्दर भेजें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके। यदि आप द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही बरती गई तो मामला उच्च अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इसे अति आवश्यक व समय बद्ध समझा जाए।

65/2
19/1/24

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

राजेश कुमार
अधीक्षक महावि० III
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक, पंचकूला: 19-01-2024

उपरोक्त की एक प्रति विभागीय आईटी0सैल के इन्चार्ज को इस कथन के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल/वैब साईट पर शीघ्र अपलोड करने का कष्ट करें।

राजेश कुमार
अधीक्षक महावि० III
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादी क्रमांक: 02/16-2023 C-III (1)

दिनांक: पंचकूला 29-12-23

विषय:-

Deemed promotion का लाभ प्रदान करने उपरांत पेंशन में संशोधन करने बारे मामला।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 02/16-2023 C-III (1) दिनांक 12.06.2023 की निरन्तरता में (कॉपी सलग्न)।

विषयांकित मामले में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.04.2023 एवं 5.9.23 के अनुसार जिस तिथि से deemed promotion का लाभ प्रदान किया गया है उस तिथि से, और Last Basic Pay के अनुसार Revision of pension का केस बनाकर / तैयार करके पेंशन दस्तावेजों के साथ निदेशालय को भेजने हेतु आपको लिखा गया था लेकिन अभी तक निदेशालय में वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि आपके कालेज से संबंधित जिस भी सहायक / एसोसिएट प्रोफेसरों को प्राचार्य के पद पर deemed promotion का लाभ प्रदान किया गया है उन सभी का Revision Pension केस बनाकर / तैयार करके पेंशन दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को 7 दिन के अन्दर-अन्दर भेजें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके। किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

PLEASE TREAT IT AS MOST URGENT AND TIME BOUND.

राजेश कुमार
अधीक्षक महावि० III

O/C कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक, पंचकूला: 29/12/23

उपरोक्त की एक प्रति विभागीय आईटी/सैल के इन्चार्ज को इस कथन के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल/वैब साईट पर शीघ्र अपलोड करने का कष्ट करें।

O/C
राजेश कुमार
अधीक्षक महावि० III
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा